डिस्कलेमर

आदेश संख्या 64/2020-21 के परिशिष्ट का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

फा. सं. ऐरा/20010/एमवाईटीपी/मायल/सीपी-III/2018-19/खंड – I/
F.No.: AERA/20010/MYTP/MIAL/CP-III/2018-19/Vol-I

सत्यमेव जयते

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

आदेश संख्या 64/2020-21 का परिशिष्ट

ADDENDUM TO ORDER NO: 64/2020-21

छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय (सीएसएमआई) हवाईअड्डा, मुम्बई के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2019-2020 से वित्त वर्ष 2023 -2024) के लिए वैमानिक टैरिफ निर्धारित करने के मामले में।/

IN THE MATTER OF DETERMINATION OF AERONAUTICAL TARIFF FOR CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ INTERNATIONAL (CSMI) AIRPORT, MUMBAI FOR THE THIRD CONTROL PERIOD (FY 2019-2020 to FY 2023-2024)

तृतीय नियंत्रण अवधि की शेष अवधि के लिए परिवर्तनीय टैरिफ योजना/

VARIABLE TARIFF PLAN
FOR THE BALANCE PERIOD OF THE THIRD CONTROL PERIOD

जारी करने की तारीख: 22 नवम्बर, 2022
DATE OF ISSUE: 22nd November, 2022

ऐरा भवन/AERA Building
प्रशासनिक कॉम्पलेक्स/Administrative Complex
सफदरजंग हवाईअड्डा/Safdarjung Airport
नई दिल्ली/New Delhi – 110003

1. पृष्ठभूमि

1.1 भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण ("ऐरा" या "प्राधिकरण") ने दिनांक 27 फरवरी, 2021 के आदेश संख्या 64/2020-21 द्वारा सीएसएमआई हवाईअड्डा, मुम्बई के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि (01.04.2019 से 31.03.2024) के लिए वैमानिक टैरिफ निर्धारित की थी।

1.2 मुम्बई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (मायल) ने दिनांक 10 अक्तूबर, 2022 के पत्र द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ नीचे बताए अनुसार प्रस्ताव किया है:

(i) अंतरराष्ट्रीय यातायात में वृद्धि करने को प्रोत्सहित करने और एयरलाइनों की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए भी मायल परिवर्ती टैरिफ योजना (वीटीपी) का प्रस्ताव करती है, जो वर्तमान में मुम्बई हवाईअड्डे से असेवित नए अंतरराष्ट्रीय मार्गों से प्रचालन प्रारंभ करने वाली शेडयूल्ड यात्री एयरलाइनों के लिए ही लागू होगी।

(ii) नया मार्ग ऐसे नए गंतव्य को जाने वाली उड़ान के रूप में परिभाषित है जो वर्तमान में मुम्बई से पहले से प्रचालन कर रही किसी भी एयरलाइन द्वारा असेवित है। गंतव्य स्थान अनिवार्यत: पिछले 12 माह से असेवित होना चाहिए। उदाहरण के लिए एयरलाइन मुम्बई से माले के लिए ऐसे नए मार्ग से प्रचालन प्रारंभ करती है जो वर्तमान में किसी भी एयरलाइन द्वारा असेवित है।

(iii) परिवर्ती टैरिफ योजना की दरें नए अंतरराष्ट्रीय मार्ग पर प्रचालन प्रारंभ करने वाली सभी यात्री एयरलाइनों के लिए कोई भेदभाव किए बिना समान रूप से लागू होगी।

1.3 मायल नए ऐसे अंतरराष्ट्रीय मार्गो से प्रचालन प्रारंभ करने वाली शेड्यूल यात्री एयरलाइन के लिए लैंडिंग प्रभार के संबंध में परिवर्ती टैरिफ योजना का प्रस्ताव करती है जो वर्तमान में मुम्बई हवाईअड्डे से पिछले 12 माह से असेवित हैं। परिवर्ती टैरिफ योजना **संलग्नक-I** के अनुसार 01 नवम्बर, 2022 से 31 मार्च, 2024 तक की तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए जारी टैरिफ आदेश में ऐरा द्वारा अनुमोदित लैंडिंग प्रभारों के संबंध में प्रस्तावित है।

2. **प्राधिकरण की समीक्षा**

2.1 प्राधिकरण ने मायल द्वारा प्रस्तावित परिवर्ती टैरिफ योजना (वीटीपी) की जांच की और नोट किया है कि वीटीपी का प्रयोजन अतिरिक्त उड़ानों को प्रारंभ करना और अतिरिक्त राजस्व कमाना है, यह दीर्घावधि में वैमानिक प्रभारों को कम करने में मददगार होगा और अंतरराष्ट्रीय यातायात की वृद्धि को भी प्रोत्साहित करेगा।

2.2 मायल ने दिनांक 10 नवम्बर, 2022 के पत्र द्वारा यह पुष्टि की है कि प्रस्तावित वीटीपी किसी भी एयरलाइन के प्रति भेदभावपूर्ण या पक्षपातपूर्ण नहीं होगी और पिछले 12 माह के दौरान सीएसएमआई हवाईअड्डा, मुम्बई से असेवित नए अंतरराष्ट्रीय मार्ग के लिए प्रचालन करने वाली किसी भी एयरलाइन के लिए समान रूप से लागू होगी।

2.3 तदनुसार प्राधिकरण वीटीपी को स्वीकार करने के लिए सहमत है क्योंकि यह नए अंतरराष्ट्रीय मार्गों का विकास करने में भी मददगार होगी और इसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी तथा दीर्घावधि में वैमानिक टैरिफ को कम करने में भी मदद मिलेगी। प्राधिकरण यह भी कहना चाहेगा कि यह योजना वर्तमान स्थिति में एयरलाइनों के लिए लाभकारी होगी और यातायात को फिर से बढ़ाने में मदद मिलेगी।

2.4 प्राधिकरण मायल को यह निदेश भी देता है कि टू-अप के समय प्राधिकरण द्वारा सत्यापन किए जाने के प्रयोजन से तथा अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित किए जाने के दौरान सुविचारित निर्णय लेने के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के दौरान वीटीपी के तहत अर्जित लैंडिंग प्रभारों का अलग रिकॉर्ड रखे।

2.5 हवाईअड्डा प्रचालक द्वारा हवाईअड्डा प्रयोक्ताओं को प्रदान की जाने वाली कोई भी रियायत उनकी अपनी मर्जी से और प्राधिकरण की टैरिफ निर्धारण संबंधी नीति के अनुसार होगी। साथ ही इस रियायत की राशि का लेखा-जोखा टैरिफ निर्धारित करने के कार्य में शामिल नहीं किया जाता है।

2.6 अपनी जांच के आधार पर प्राधिकरण इस आदेश के **संलग्नक-II** में बताए अनुसार 01.12.2022 से 31.03.2024 तक प्रभावी परिवर्ती टैरिफ योजना को मानने का निर्णय लेता है।

3. आदेश

प्राधिकरण, ऐरा (संशोधन) अधिनियम, 2019 और 2021 के साथ पठित भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13(1)(ए) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इसके समक्ष रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों तथा स्पष्टीकरणों के आधार पर यह निर्णय लेता है और आदेश देता है कि:

3.1 प्राधिकरण संलग्नक -II के अनुसार सीएसएमआई हवाईअड्डा, मुम्बई में 01.12.2022 से 31.03.2024 तक प्रभावी परिवर्ती टैरिफ योजना (वीटीपी) को मानने का निर्णय लेता है।

3.2 प्राधिकरण मायल को यह निदेश देता है कि वह यह सुनिश्चित करें कि इकाओ के भेदभाव न किए जाने संबंधी सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं हुआ है।

3.3 प्राधिकरण मायल को यह निदेश देता है कि ट्रू-अप के समय प्राधिकरण द्वारा सत्यापन किए जाने के प्रयोजन से तथा अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित किए जाने के दौरान सुविचारित निर्णय लेने के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के दौरान वीटीपी के तहत अर्जित लैंडिंग प्रभारों का अलग रिकॉर्ड रखे।

3.4 हवाईअड्डा प्रचालक द्वारा हवाईअड्डा प्रयोक्ताओं को प्रदान की जाने वाली कोई भी रियायत उनकी अपनी मर्जी से और प्राधिकरण की टैरिफ निर्धारण संबंधी नीति के अनुसार होगी साथ ही इस रियायत की राशि का लेखा-जोखा टैरिफ निर्धारित करने के कार्य में शामिल नहीं किया जाता है।

3.5 दिनांक 27.02.2021 के आदेश संख्या 64/2020-21 की अन्य शर्तें एवं निबंधन यथावत रहेंगे।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(कर्नल मनु सूदन)
सचिव

सेवामें,

श्री प्रकाश तुलसैनी,
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
मुम्बई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड,
सीएसआई हवाईअड्डा, प्रथम तल, टर्मिनल 1बी, सांताक्रूज (पूर्व)
मुम्बई-400009

प्रतिलिपि,

1. **सचिव**, **नागर विमानन मंत्रालय,** राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली–110 003
2. **नागर विमानन महानिदेशालय** को एआईसी जारी करने के लिए